an>

Title: Regarding public distribution system in the country

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बहुत ही सेंसटिव विषय पर सदन में अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपका ध्यान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। प्लानिंग कमीशन द्वारा मार्च 2008 में जारी रिपोर्ट के अनुसार केवल 42 परसेंट लोगों को ही सब्सिडाइज्ड अनाज प्राप्त होता है। देश में 4,78,000 राशन की दुकानें हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद गरीब लोगों को सस्ते दामों पर राशन उपलब्ध कराना है। आज स्थिति यह है कि ये राशन की दुकानें लोगों को लाभ पहुंचाने से ज्यादा डिपो धारकों की काली कमाई का साधन बनती नजर आ रही हैं। एफसीआई द्वारा मिलने वाले राशन को बहुत से डिपो धारक निम्न श्रेणी और कम गुणवत्ता वाले राशन से बदलकर जमाखोरी कर लेते हैं और इस राशन को ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। इसके साथ ही बहुत से डिपो धारकों पर बोगस कार्ड बनाने के आरोप लगते रहे हैं। कई बार पीडीएस सिस्टम पर अर्बन बेस्ड होने के आरोप भी लगते रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को इनकी सेवाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए प्रबल प्रबंध नहीं है। 1960 से पहले, हरित क्रांति से पूर्व अनाज की कमी थी लेकिन अब हमारे पास पर्याप्त अनाज है। अनाज गोदामों की संख्या और क्षमता के कारण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। फूड सिक्योरिटी बिल के नाम से एक योजना बनाई गई थी जिसमें गरीबों के राशन कार्ड बनने थे लेकिन कार्ड भी नहीं बने। उनको कहा गया था कि सब्सिडाइज्ड पैसा एकाउंट में आ जाएगा। मेरा कहना है कि न तो अभी तक पैसा आया है और न ही राशन मिल रहा है। दुकानदार राशन को ब्लैक में बेच रहे हैं। मेरी मांग है कि कोई ऐसी एजेंसी डिप्यूट होनी चाहिए जो विजिलैंट करके छापे मारे और दुकानदारों के खिलाफ एक्शन ले ताकि गरीब लोगों को राशन मिल सके। दिल्ली में 25 लाख झुग्गियों में लोग रहते हैं, उनके लिए राशन की व्यवस्था होनी चाहिए।